भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 641

9 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं लेना

641. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2022-23 सत्र के दौरान महाराष्ट्र के सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालयों में कोई प्रवेश नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को होने वाली अवसर की हानि का समाधान सरकार किस प्रकार करती है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क),(ख) और (ग): भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों को सशर्त अनुमति प्रदान की है। राजकीय कॉलेजों की अनुमत प्रवेश क्षमता की अखिल भारतीय कोटा स्नातकपूर्व सीटों में से 15% सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग केंद्रीय सरकार द्वारा आयुष प्रवेश केंद्रीय काउंसलिंग समिति के माध्यम से आयोजित की जाती है। शेष 85% राज्य कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग संबंधित राज्य आयुष काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाती है।

अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग के समय कई छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन दिया। अखिल भारतीय कोटा सीटों और राज्य कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग के अगले दौरों के साथ, छात्र प्रवेश के लिए आवेदन दे सकते हैं।

*****